फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री मोहन लाल पिता रूपलाल सालवी नि0 नारायण जी का बीड़ा, पो0 विजयपुरा, तहसील देवगढ़,जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 81/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.09.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये पृष्ठांकित पत्र क्रमांक सूकाअ/31/2024/104 दिनांक 11.09.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी श्री मोहन लाल पिता श्री रूपलाल सालवी नि0 नारायण जी का बीड़ा पो0 विजयपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा पटवारी हल्का देवगढ़ को आवेदन प्रस्तुत किया गया जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी नहीं है जिससे आवेदन पर कार्यवाही उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अपेक्षित नहीं होकर आवेदन शुन्य है लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित के संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ कि रिपोर्ट के अनुसार पटवारी हल्का देवगढ़ को आवेदन प्रस्तुत किया गया जो सूचना का अधिकार अधिनियत 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी नहीं है जिससे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)